कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 415/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.11.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना सिधारी पुलिस द्वारा नाजायज़ गांजा एवं अवैध असलहा के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिधारी पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

आज दिनांक 20.11.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी मूसेपुर, मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलइसा पुल रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से समय लगभग 02:30 बजे निम्न अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अरविन्द बहेलिया पुत्र हरनाम सिंह, निवासी चिरकुटी, थाना विशुनगढ़, जनपद कन्नौज (उम्र लगभग 30 वर्ष)
2. पंकज निषाद पुत्र मनीराम, निवासी कुर्चा, थाना बेवाना, जनपद अम्बेडकरनगर (उम्र लगभग 35 वर्ष)
3. संजीव बहेलिया उर्फ सुल्ली पुत्र हरनाम सिंह, निवासी चिरकुटी, थाना विशुनगढ़, जनपद कन्नौज (उम्र लगभग 23 वर्ष)

☐ जिनके कब्जे से निम्न सामान बरामद हुए हैं-

बरामद सामान:-

01. 1.438 किलोग्राम नाजायज़ गांजा
02. 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
03. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
04. ₹850 नकद

☐ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर-

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 495/25, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 8/20, एनडीपीएस एक्ट, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी मूसेपुर, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी इटौरा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 धर्मराज भारती, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
4. का0 अंशुमान सिंह, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
5. उ0नि0 मनीष मिश्रा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
6. हे0का0 भाष्करानन्द सिंह, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
7. का0 अतुल राजभर, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
8. का0 आदित्य, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
9. का0 चन्द्रेश, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

02.थाना: देवगांव, जनपद–आजमगढ़: गुमशुदा युवक की हत्या का सफल अनावरण — दो अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ थाना देवगांव क्षेत्र में गुमशुदा युवक इर्दू पुत्र इरफान निवासी दौना की हत्या के प्रकरण का थाना देवगांव पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है।

अपराध का विवरण:-

वादिनी रफ्फू पुत्र इरफान, द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उसका भाई इर्दू दिनांक 17.11.2025 से लापता है। दिनांक 19.11.2025 को जानकारी मिली कि इर्दू की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 431/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम 1. उमाशंकर पुत्र शिवानन्द 2. विपिन पुत्र उमाशंकर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अनावरण एवं गिरफ्तारी:-

प्र0नि0 विमल प्रकाश राय द्वारा गुमशुदगी संख्या 29/2025 की विवेचना के दौरान अभियुक्त उमाशंकर से पूछताछ की गई।पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि रात्रि लगभग 01:30 बजे वो और उसके पुत्र विपिन ने मिलकर इर्दू को पकड़ लिया तथा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक का शव मोटरसाइकिल पर ले जाकर गांव के पास स्थित पोखरे में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर गोताखोर की मदद से पोखरे से शव बरामद किया गया जिसकी शिनाख्त परिजनों द्वारा इर्दू के रूप में की गई। अभियुक्त उमाशंकर को 19.10 बजे हिरासत में लिया गया। दिनांक 20.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त विपिन कुमार को पकड़ी खुर्द जाने वाले हाइवे कट से समय 06:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. उमाशंकर पुत्र शिवानन्द, निवासी पकड़ी खुर्द, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. विपिन कुमार पुत्र उमाशंकर, निवासी पकड़ी खुर्द, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 431/2025, धारा 103(1), 238 बीएनएस, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय, थाना देवगांव, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 ओम प्रकाश सिंह, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
3. का0 शिवम तिवारी, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
4. का0 शैलेन्द्र कुमार, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

03.थाना – निजामाबाद: स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड के 15,054 रुपये आवेदक के खाते में कराया गया वापस

थाना निजामाबाद क्षेत्र अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित एक व्यक्ति की धनराशि को पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक वापस कराया गया है।

घटना का विवरण :

दिनांक **11.08.2025** को आवेदक **सत्य प्रकाश सिंह पुत्र त्रिपुरारी सिंह**, निवासी डण्डवा, थाना निजामाबाद, आज़मगढ़ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से **20,000 रुपये** की साइबर ठगी टेलीग्राम के माध्यम से स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश कराने के नाम पर की गई।

आवेदक द्वारा धोखाधड़ी की जानकारी होने पर उसी दिन **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के माध्यम से शिकायत संख्या **3310825xxxxxxxx** पंजीकृत कराई गई।

शिकायत के आधार पर **NCRP पोर्टल** के माध्यम से फ्राड में उपयोग हुए **15,054 रुपये** को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित **PNB बैंक खाता संख्या 820800xxxxxxxxx)** में होल्ड करवा दिया गया।

पुलिस की कार्यवाही :
थानाध्यक्ष **हीरेन्द्र प्रताप सिंह** के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की गई। आवेदक के माध्यम से माननीय न्यायालय से फ्राड की धनराशि वापस करने के संबंध में *कोर्ट आदेश* जारी कराया गया।
कोर्ट आदेश प्राप्त होने के पश्चात संबंधित बैंक मैनेजर/बैंक नोडल से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के बैंक खाते में **साइबर फ्राड की 15,054 रुपये की पूरी धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।**
धनराशि वापस होने पर आवेदक द्वारा आज़मगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
साइबर टीम – थाना निजामाबाद

1. SO हीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 सानिया गुप्ता
3. म0का0 रेनू देवी
4. का0 राकेश यादव
5. का0 संदेश सिंह

04.**थाना बिलरियागंज: आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बिलरियागंज क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक **10.09.2025** को थाना बिलरियागंज पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्र के अनुसार वादिनी के पारिवारिक विवाद से संबंधित एक वीडियो को कुछ समय के लिए फेसबुक पर अपलोड किया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया। उक्त वीडियो को अभियुक्तगण

1. **फरहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम अज्ञात, थाना बिलरियागंज**,
2. **साहिल पुत्र इसमदार निवासी दोरजी धौरहरा, थाना बिलरियागंज**,

द्वारा डाउनलोड कर *इंस्टाग्राम (Its Trending – OG)* तथा *Bilariyganj.com* पर वायरल कर दिया गया।
वीडियो वायरल करने से वादिनी की सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुँचाई गई तथा अभियुक्तों द्वारा धमकी भी दी गई।
प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
गिरफ्तारी का विवरण
निरीक्षक अपराध **श्री अशोक कुमार तिवारी** मय हमराह कर्मचारी का० विनोद कुमार गिरी तथा का० अजय कुमार पटेल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या **294/25**, धारा **351(3), 79, 308(5) BNS व 72A IT Act** में वांछित अभियुक्त **साहिल पुत्र इसमदार** निवासी दोरजी धौरहरा, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़ की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी।
अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय सीजेएम आज़मगढ़ द्वारा **NBW** जारी था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम उसके ननिहाल **ग्राम सिकंदरपुर, थाना महाराजगंज** पहुँची, जहाँ अभियुक्त एक पारिवारिक कार्यक्रम में मौजूद था। अभियुक्त को दिनांक **19.11.2025 समय 23:10 बजे** मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पिता इसमदार को भी देकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग :
मु०अ०सं० **294/25** धारा **351(3), 79, 308(5) BNS, 72A IT Act** थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त :

1. **साहिल पुत्र इसमदार**, निवासी दोरजी धौरहरा, थाना जीयनपुर, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. निरीक्षक अपराध **अशोक कुमार तिवारी**, सीओ पेशी सगड़ी, आज़मगढ़
2. का० **विनोद कुमार गिरी**, थाना बिलरियागंज
3. का० **अजय कुमार पटेल**, थाना बिलरियागंज

05.थाना गम्भीरपुर:धारा 141 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों का उल्लंघन करने वाले 04 नफ़र अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ **डा० अनील कुमार सिंह** द्वारा चलाए जा रहे *वारंटी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान* एवं *अपराध नियंत्रण* के क्रम में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आज़मगढ़ के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष **अखिलेश कुमार सिंह** के नेतृत्व में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी का विवरण :

आज दिनांक **20.11.2025** को उपनिरीक्षक **संजय कुमार सिंह** मय हमराह **हेड कांस्टेबल नागेन्द्र नाथ सिंह यादव** एवं **कांस्टेबल सुनील यादव** द्वारा ग्राम बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर से निम्न अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया :

1. **रमेश गुप्ता** पुत्र विन्ध्याचल प्रसाद गुप्ता, उम्र 55 वर्ष
2. **अभय गुप्ता** पुत्र दुर्गा प्रसाद, उम्र 45 वर्ष
3. **देवनाथ गुप्ता** पुत्र केशव, उम्र 56 वर्ष
4. **अमरनाथ गुप्ता** पुत्र केशव, उम्र 59 वर्ष

उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गम्भीरपुर में धारा **170/126/135 BNSS** के तहत चालान किया गया था। आरोप था कि अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद *सदैव अनुपस्थित* रहते थे।

माननीय **SDM महोदय** द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनांक **25.11.2025** तक माननीय *उपजिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद* के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

निर्देशानुसार अभियुक्तगण को आज दिनांक **20.11.2025 समय लगभग 10:30 बजे** उनके घर ग्राम बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वारंटी का विवरण :

1. रमेश गुप्ता पुत्र विन्ध्याचल प्रसाद गुप्ता, उम्र 55 वर्ष
2. अभय गुप्ता पुत्र दुर्गा प्रसाद, उम्र 45 वर्ष
3. देवनाथ गुप्ता पुत्र केशव, उम्र 56 वर्ष
4. अमरनाथ गुप्ता पुत्र केशव, उम्र 59 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1. उ0नि0 **संजय कुमार सिंह**, थाना गम्भीरपुर
2. हेड कांस्टेबल **नागेन्द्र नाथ सिंह यादव**
3. कांस्टेबल **सुनील यादव**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.11.2025, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ को जीरो मृत्यु दर जनपद (Zero Fatality District) के रूप में चिन्हित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद की 07 प्रमुख सड़कों को क्रिटिकल कॉरिडोर (खतरनाक मार्ग) के रूप में चिह्नित किया गया है जहाँ मृत्यदर न्यूनतम किया जाना है ।

इनमें आज़मगढ़-दोहरीघाट, आज़मगढ़-वाराणसी एवं आज़मगढ़-जौनपुर आदि राजमार्ग तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि सम्मिलित हैं।

➡️ इन मार्गों पर प्रभावी निगरानी व दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इन मार्गों पर पड़ने वाले कुल 15 थानों में 24 क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों (CC Teams) का गठन किया गया है।

➡️ प्रत्येक टीम में 01 उपनिरीक्षक एवं 04 मुख्य आरक्षी/आरक्षी सम्मिलित हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी द्वारा उक्त विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: आयोजित किया गया ।

➡️ पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के 24 उपनिरीक्षक एवं 24 मुख्य आरक्षी/आरक्षी को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और क्रिटिकल कॉरिडोर में किए जाने वाले प्रवर्तन से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नवत था ।
क्रिटिकल कॉरिडोर टीम (CC टीम) के मुख्य दायित्व:

➡️ क्षेत्रीय उत्तरदायित्व (AOR):
दुर्घटना संभावित स्थलों एवं संवेदनशील समय विशेषकर सायंकाल में प्रभावी चेकिंग कर प्रवर्तन कार्यवाही करना तथा क्रिटिकल कॉरिडोर एरिया में होने वाली दुर्घटनाओं के अभियोगों की विवेचना करना।

➡️ प्रवर्तन कार्यवाही:
सीसी टीम द्वारा निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा—

- रात्रि में भारी वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कर यह सुनिश्चित करना कि चालक नींद के प्रभाव में न हो। यदि चालक थका हुआ प्रतीत हो तो उसे विश्राम की सलाह देना।
- टी/वाई/चौराहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने देना।
- मार्ग किनारे खड़े खराब/बाधक वाहनों को तत्काल हटवाना।
- यातायात ड्यूटी में लगे कर्मियों द्वारा आवश्यकतानुसार बॉडीवार्न कैमरा, सेफ्टी टॉर्च, पीए सिस्टम, इंटरसेप्टर, कोन आदि उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- ढाबा/होटल/रेस्तरां/मैरिज हाल/पेट्रोल पम्प के सामने अवैध पार्किंग को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना कि वाहनों की पार्किंग मुख्य मार्ग अवरुद्ध न करे।

➡️ **दुर्घटना विवेचना:**
क्रिटिकल कॉरिडोर में घटित होने वाली दुर्घटनाओं की विवेचना उसी कॉरिडोर पर नियुक्त उपनिरीक्षक द्वारा की जाएगी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.11.2025 जनपद आजमगढ़

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस रखने के *01 **आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 06.01.2004 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शमशेर बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जहानागंज ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-06.01.2004 को अभियुक्त शिवकुमार मौर्य पुत्र देवीदेव मौर्य निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद तमन्चा व 1 अदद कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 3/2004 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 20.11.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार मौर्य पुत्र देवीदेव मौर्य निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ **को *दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक: 20.11.2025

* यातायात माह **नवम्बर 2025***

बिना नंबर प्लेट एवं डिफॉल्ट नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध एसपी ग्रामीण द्वारा सघन चेकिंग अभियान

यातायात माह **नवम्बर 2025** के अंतर्गत आज दिनांक **20.11.2025** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार (IPS)** के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) **श्री चिराग जैन** द्वारा थाना बिलरियागंज क्षेत्र में बिना नम्बर प्लेट एवं डिफॉल्ट/फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा स्वयं **बूथ पटवध कौतुक** पर बैरियर लगाकर दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की क्रमवार जांच की गई। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों के अनुपालन की गहन समीक्षा करते हुए निम्न श्रेणियों के वाहनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया—

- बिना नंबर प्लेट
- डिफॉल्ट/फर्जी नंबर प्लेट
- संदिग्ध नंबर प्लेट
- बिना रजिस्ट्रेशन
- अवैध परिवर्तन युक्त वाहन
- अन्य यातायात नियम उल्लंघन

अभियान के दौरान नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के विरूद्ध तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई की गई तथा आवश्यक चालान/विधिक कार्यवाही की गई।

इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक भी किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने सभी वाहन स्वामियों/चालकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय मानक नंबर प्लेट का प्रयोग करें, समस्त वैध दस्तावेज साथ रखें तथा यातायात नियमों का पूर्णतः अनुपालन करें।

प्रेस-विज्ञप्ति
दिनांक: 20.11.2025
जनपद – आजमगढ़

अपराध से अर्जित संपत्ति की न्यायालय द्वारा कुर्की – दो मोटरसाइकिलें कुर्क

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आर्थिक अपराधों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना सम्बंधित प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। धारा 107 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ द्वारा महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

➡ पत्रावली के अवलोकन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहायक परिवहन अधिकारी तथा विवेचक द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर न्यायालय ने पाया कि—

● दिनांक 23.01.2025 से 22.09.2025 के मध्य अभियुक्तगण द्वारा कुल ₹52,85,000/- का अवैध ट्रांज़ैक्शन किया गया।

● अभियुक्तगण ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़ के पदेन सरकारी खाते (केनरा बैंक) से संबंधित चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर की।

● आपराधिक धन से अभियुक्तों द्वारा दो मोटरसाइकिलें क्रय की गईं—

1️⃣ बुलेट क्लासिक मोटरसाइकिल UP50 DA 5398

2️⃣ स्पलेन्डर मोटरसाइकिल UP50 CW 0799

● दोनों वाहन उसी अवधि में खरीदे गए जिसमें अवैध धन अर्जित किया गया।

● अभियुक्त अपनी ओर से कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।

न्यायालय का आदेश
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सत्यवीर सिंह द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि—

➡ दोनों मोटरसाइकिलें अपराध से अर्जित आय से प्राप्त की गई हैं।

➡ अतः उक्त संपत्ति को कुर्क किया जाना न्यायोचित है।

➡ न्यायालय ने विवेचक दल प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए—

➡ दोनों वाहन कुर्क करने का आदेश पारित किया:

1. बुलेट क्लासिक – UP50 DA 5398
2. स्पलेन्डर – UP50 CW 0799